कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0/उन्नीस–1/परिपत्र/ 4116 /2018 दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 10 ,2018

सेवा में

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान के अन्तर्गत पीठ कार्यालयो मे कार्यरत सदस्यो/तृतीय श्रेणी कर्मचारियो के सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान हेतु पेंशन, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, जी0पी0एफ0, जी0आई0एस0, आदि से संबंधित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किए जाते है। मुख्यालय पर परीक्षण के दौरान अधिकांश प्रस्तावों मे त्रुटियां पायी जाती हैं तथा सलंग्न सेवापुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पासबुक में प्रविष्टियां पूर्ण नही होती हैं। इन त्रुटियों के निवारण मे काफी विलम्ब हो जाने के कारण संबंधित कार्मिको को समय से सेवानैवृत्तिक देयको का भुगतान नही हो पाता है। इस कारण कार्मिको द्वारा विलम्ब के लिए ब्याज भुगतान की मांग की जाती है, और कई बार ऐसे प्रकरण कोर्ट में चले जाते है।

ज्ञातव्य है कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त कार्मिको के समस्त सेवानैवृत्तिक देयको का भुगतान समयान्तर्गत किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, और समय–समय पर शासन द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

अतः वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान के अन्तर्गत समस्त पीठ कार्यालयो के सदस्यों/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सेवानैवृत्तिक लाभों से संबंधित अभिलेखो का अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर शासनादेशो मे निहित व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत मुख्यालय प्रेषित किए जाये। यदि सेवानैवृत्तिक लाभों से संबंधित प्रस्ताव एवं अभिलेख कमियों सहित मुख्यालय प्रेषित किए जाते है तो विलम्ब का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित पीठ कार्यालय के सदस्य/आहरण वितरण अधिकारी का होगा। साथ ही विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांगे गये ब्याज की जिम्मेदारी भी पीठ कार्यालय के सदस्य/आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

परिपत्र का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

ह0/10.10.18
(विक़ार अहमद अन्सारी)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2– प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय।
3– वरिष्ठ सहायक रिट मुख्यालय।
4– गार्ड फाइल हेतु।

(तरुण कुमार)
निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।